न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांकः 21.12.2017

वाद–पत्र संख्या :–213/2017

GCMS NO:- 2017/00373

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

मोरपाल पुत्र माधो जाति मीणा निवासी ग्राम सहण मृतक कायम मुकाम–

1. ओमप्रकाश पुत्र मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. चैतन पुत्र मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. द्रोपदी बाई बैवा मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. मिथलेश पुत्री मोरपाल हाल पत्नि रामरूप जाति मीणा निवासी जुवाड कीरपुरा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश।
5. रेखा पुत्री मोरपाल हाल पत्नि हंसराज जाति मीणा निवासी मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
6. सीता पुत्री मोरपाल हाल पत्नि रामस्वरूप जाति मीणा निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. लक्ष्मी पुत्री मोरपाल हाल पत्नि ब्रह्मानन्द जाति मीणा निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादीगण–

बनाम

1. कृष्ण गोपाल पुत्र जादूराम जाति काछी निवासी सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. शोजी पुत्र जन्शी जाति मीणा निवासी ग्राम सहण तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए एंव 188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

वादीगण एवं प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 13.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सहण पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 241 नया की खसरा संख्या 77/19–03, 100/14–10, 715/07–04, 717/08–08, 718/04–05, 719/04–06 तथा 845/00–05 बीघा कुल किता 7 कुल रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि वादीगण की भूमि खसरा संख्या 100 व 77 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम सहण से ग्राम बावडी जाने वाले कच्चे रास्ते से फटकर खसरा संख्या 102 व 99 के बीच की मेड पर होता हुआ वादीगण की भूमि में पहुंचता हैं। उस रास्ते को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 ने गत सप्ताह से वर्णित रास्ते से वादीगण को निकलने नही दिया तथा रास्ते को फाडकर अपनी भूमि में मिलाने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वादीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि वादीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र अ... किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण की भूमि पर जाने को दूसरा सुगम रास्ता मौजूद है इसलिये वादीगण का वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 102 व 99 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 102 में से रकबा 43 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 43 वर्ग गठ्ठातथा खसरा संख्या 99 में से रकबा 43 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 43 वर्ग गठ्ठा अर्थात कुल रकबा 04 बिस्वा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में डोटेड लाइन से दर्शाया गया हैं।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज, जवाब दावा एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान फॉलाअप केम्प कोर्ट करवर में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में वादीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम सहण पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 241 नया की खसरा संख्या 77/19–03 तथा 100/14–10 बीघा कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 102 में से रकबा 43 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 43 वर्ग गठ्ठा तथा खसरा संख्या 99 में से रकबा 43 गठ्ठा • 1 गठ्ठा = 43 वर्ग गठ्ठा अर्थात कुल रकबा 04 बिस्वा भूमि , जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 16:08:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner